

अल्पकालीन निविदा सूचना

1. महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशायी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड बागपत द्वारा निम्नलिखित कार्यों की प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निम्नलिखित कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में श्रेणी "ए0, बी0, सी0, डी0, में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने के योग्य होंगे। निविदा एक या एक से अधिक कार्य हेतु डाल सकते हैं। ई0 श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रूपसे 5.00 लाख तक के कार्यों की निविदा हेतु ही पात्र होंगे।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम (सांसद निधि/ बजट की प्रत्याक्षा में)	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	स्टेशनरी चार्ज + निविदा प्रपत्र का मूल्य + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0, 300/7 धारणनगर मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
1	बागपत	ग्राम नंगला रवा में श्री भरते से श्री रामेहर तक सी0सी0 इंटरलॉकिंग टाईल्स कार्य। (वि0 ख0 बिनौली)	8.23	0.17	500+225 +GST=766.00	2 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
2	बागपत	ग्राम मवीकलां में श्री प्रमोद पुत्र श्री मेहर सिंह हरिजन से श्री सादेराम के घर तक सी0सी0 इंटरलॉकिंग टाईल्स कार्य।(वि0 ख0 खेकडा)	7.96	0.16	500+225 +GST=766.00	2 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत

- प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समायाधि वर्षाक्रुतु को शामिल करते हुए कॉलम न0 7 में अंकित है।
- निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिए होगी। वैधता की अवधि में निविदा को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
- निविदा का सैट अधिशायी अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड बागपत, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0 मेरठ परिमण्डल मेरठ एवं जिलाधिकारी बागपत जैसा की कॉलम न0 8, 9, व 10 में दर्शाया गया है के कार्यालय से दिनांक 25.02.2019 से 25.02.2019 तक सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक 500.00 रूपये गैर वापसी शुल्क के आधार पर कॉलम न0 6 में प्रदर्शित कार्य के स्टेशनरी चार्जिज व बतौर निविदा कीमत नकद अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में अधिशायी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बागपत के पक्ष में अदा करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियां, ड्राईंग विभिन्न कार्यों के शेड्यूल ऑफ क्वान्टिटी जो कार्य किया जाना है के सम्बन्ध में अधिशायी अभियन्ता के कार्यालय में जैसा की कॉलम न0 8 में दर्शाया गया है। को कार्य दिवस के पूर्वाह्न 11:00 बजे से 4:00 बजे तक दिनांक 25.02.2019 से 25.02.2019 तक देखा जा सकता है। निविदादाता निविदा क्रय करने से पूर्व कार्यस्थल का भलीभांति निरीक्षण कर ले।
- अधिशायी अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0, बागपत, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0, मेरठ परिमण्डल मेरठ व जिलाधिकारी बागपत जैसा की कॉलम न0 8, 9 व 10 प्रदर्शित दिनांक 26.02.2019 के अपराह्न 12:00 बजे तक टेण्डर बॉक्स में निविदाएँ डाली जायेगी। जो उसी कार्यदिवस दिनांक 26.02.2019 के अपराह्न 12:30 बजे अधिशायी अभियन्ता ग्रा0अ0वि0 बागपत के कार्यालय में इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा की कॉलम - 5 में दर्शाया गया है को संलग्न करना अनिवार्य होगा जो एन0एस0सी0, पोस्ट ऑफिस की पासबुक एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में कार्यकारी अधिशायी अभियन्ता, ग्रा0अ0वि0 बागपत के पक्ष में बन्धक होगी।
- कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे।)
- निविदादाता को निविदा के साथ रू0 100/- का स्टाम्प पेपर रू0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदादाता को प्रत्येक निविदा के लिये सभी सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर (टी-4, टी-5) सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कराकर तथा टी-6 आदि मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल पर जाकर अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर ले। किसी भी प्रकार का विवाद बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।
- विशेष सचिव,उ0प्र0के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2/ऑडिट/08/टी0सी0-2 लोक निर्माण अनुभाग 12 लाखनऊ दिनांक 08.06.2012 द्वारा टेन्डर पर 10 प्रतिशत बिलो तक 0.50 प्रतिशत,प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दर पर 1.00 प्रतिशत,प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्क्योरिटी/परफोरमेंस गारन्टी ली जायेगा।
- निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यों के लिये डिफैक्ट लाइविलिटी समायाधि कार्य पूर्ण करने की तिथि से 1 वर्ष तक की होगी।
- निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य पर लेबर का श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता टेण्डर नोटिस [www.baghpat.nic.in](http://www.baghpat.nic.in) से देख सकते हैं।

अधिशायी अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड -बागपत।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,मेरठ परिमण्डल मेरठ।
- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,बागपत।
- मा0 सांसद/विधायक,जनपद-बागपत।
- समस्त सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बागपत।
- कैशियर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बागपत।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- अनुबन्ध पत्रावली हेतु।

अधिशायी अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-बागपत